कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला उज्जैन(म.प्र.)

क्रमांक– 425 /ए.डी.एम./रीडर/2022 उज्जैन, दिनांक 25/02/2022

:: आदेश ::

दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 अतंर्गत

आदेश दिनांक 25 /02 /2022 को पारित

–0–

आज दिनांक 25/02/2022 महाशिवरात्रि पर्व आयोजन के संबंध में पुलिस प्रशासन तथा सुरक्षा एजेंसियों की बैठक आयोजित की गई है। उक्त बैठक में सुरक्षा अधिकारी / बुद्धिजीवी द्वारा बताया गया है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास की परिधि में बिना अनुमति के ड्रोन (कैमरा) के संचालन का प्रयास कतिपय लोगों द्वारा किया जाता है जिससे कि आम श्रद्धालु/दर्शनार्थियों की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है। उक्त संबंध में पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन द्वारा भी अवगत कराया गया है कि बिना अनुमति के ड्रोन कैमरों के संचालन पर प्रतिबंध लगाना नितांत आवश्यक है।

अतः श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास की 500 मीटर की परिधि में बिना अनुमति के ड्रोन एवं ड्रोन कैमरों के संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है।

यदि आवश्यक हुआ तो ड्रोन(कैमरा) संचालन की अनुमति के लिए सक्षम प्राधिकारी प्रशासक महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) महाकाल से स्पष्ट अभिमत प्राप्त होने के उपरांत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर), उज्जैन अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकृत रहेंगें। उक्त प्रतिबंध पुलिस/मान्यता प्राप्त सुरक्षा एंजेसियो पर लागू नहीं रहेगा।

चूंकि यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके, अतः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। कोई भी हितबद्ध पक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के अंतर्गत इस आदेश के विरूद्ध अपनी आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

उल्लेखनीय है कि इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधितों को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–134 (2) के अन्तर्गत जन सम्पर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की सूचना समाचार पत्रों, रेडियो एवं दूरदर्शन पर प्रदान कर जनसामान्य को अवगत करावें। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी/राजस्व अधिकारी/नगरीय व ग्रामीण निकायों के सक्षम अधिकारी अपने–अपने कार्यालयों के सूचना पटल पर यह आदेश प्रदर्शित कर सामान्यजन एवं संबंधितों को आदेश की जानकारी प्रदान करें ।

इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश जारी होंने के दिनांक 25/02/2022 से आगामी 2 माह तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।

(कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा आदेशित)

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला उज्जैन

पृ.क्रमांक— 925 /ए.डी.एम./रीडर/2022
प्रतिलिपि—

उज्जैन, दिनांक: 25/02/2022

1— प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन गृह (सी) विभाग भोपाल।
2— आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन।
3— अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, उज्जैन झोन उज्जैन।
4— पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन ।
5— आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन।
6— मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उज्जैन।
7— अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला उज्जैन।
8— अनुविभागीय दण्डाधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/नगर पुलिस अधीक्षक/तहसीलदार/थाना प्रभारी/नायब तहसीलदार/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/मुख्य नगर पालिका अधिकारी समस्त जिला उज्जैन ।
9— प्रशासक श्री महाकालेश्वर मंदिर जिला उज्जैन।
10— उप संचालक, जन संपर्क उज्जैन की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
11— प्रभारी अधिकारी, पुलिस नियंत्रण कक्ष उज्जैन।
12— निज सचिव, कलेक्टर उज्जैन।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला उज्जैन